माननीय राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

~~न्यायालय श्रीमान अपरआयुक्त महोदय ग्वालियर केम्प गुना म0प्र0~~

प्रकरण क्रमांक निगरानी /17

आज दिनांक 28.6.17 को महेन्द्रसिंह योद्धा अभिभाषक द्वारा आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रवाचक
कार्यालय आयुक्त
ग्वालियर संभाग ग्वालियर

प्रशांतकुमार शर्मा पुत्र रामचरणलाल शर्मा जाति ब्राहम

निवासी ढाकोनी तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर म0प्र0

निगरानी / अशोकनगर / भू-रा / 2017 / 2565

--निगरानीकर्ता

बनाम

बलजिंदरसिह पुत्र गुरूदीपसिह जाति सिख निवासी ग्राम

ढाकोनी तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर म0प्र0

424

श्री सुनील सिंह धाकड़ को द्वारा आज दि. 5/7/17 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

-प्रतिनिगरानीकर्ता

|| निगरानी ||

निगरानी अधीन धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959 के तहत

निगरानी विरूद्ध आदेश अधिनस्थ न्यायालय के श्रीमान तहसीलदार महोदय ईसागढ उनके

प्रकरण क्रमांक 2अ6अ/16-17 आदेश दिनांक 31/5/17 के विरूद्ध।

माननीय महोदय

सेवा मे निगरानीकर्ता की और से निगरानी सादर प्रस्तुत है

प्रशांतकुमार शर्मा

-2-

प्रशांत / बलजिन्दर सिंह

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

III/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/2565
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **जिला–अशोकनगर**

स्थान तथा दिनांक	प्रशांतकुमार कार्यवाही तथा आदेश बलजिन्दर सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
02-02-2018	आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन, अभि.उप. । उन्हें प्रकरण में ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया । 2– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित किए गये हैं जिन्हें यहां दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया गया । निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में आक्षेपित अभिलेख दिनांक 30.05.2017 का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी भी पक्ष के हित प्रभावित होने की कोई संभावना हो । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। अतः प्रकरण में वर्तमान प्रक्रम पर आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नाधीन आदेश स्थित रखा जाता है तथा तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में आवेदक (जो अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक है) को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि संमत आदेश पारित करें। प्रकरण उक्त निर्देशों के साथ इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दा.रि. हो। (हस्ताक्षर) सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर	